


चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं /संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम :- राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) :- राजेन्द्र सिंह राठौड़
3. डाक पता, टेलिफोन न. मोबाईल नत्र व मेल आई.डी :- 8, अन्नपूर्णा, हरबिलास मार्ग, सिविल लाईन्स अजमेर (305001) गो. 86190-03796  
ई-मेल [rajasthanroadsafety@gmail.com](mailto:rajasthanroadsafety@gmail.com)
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य :- महिलाओं को वाहन चालन प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना, निर्धन व्यक्तियों को वाहन चालन प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाना, सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित दिव्यांगजनों की सहायता करना, वाहन चालन प्रशिक्षण व सड़क सुरक्षा गतिविधियों
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) :- 1000 वर्ग मीटर
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) :- 1000 वर्ग मीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) :- संलग्न है।
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण :- पूर्व में कोई भूमि आवंटित नहीं है।
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
  - (i) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
  - (ii) वाईलॉज/रेग्युलेशन
  - (iii) गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट
  - (iv) संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा उसका उल्लेख हो।
  - (v) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
  - (vi) रुपये 5000/- ( पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो संबंधित शहरी निकाय के सचिव/अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की उल्लंघना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक:- .....

स्थान:- .....

  
 (राजेन्द्र सिंह राठौड़)  
 सचिव  
 राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी  
 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
 नाम व पद

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट(अ) सामान्य सूचनाएं-

क्र.सं.		
1	आवेदक का नाम/पता	राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी
2	शहर/करबे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है	कोटा
3	चाही गई भूमि का विवरण (राजसव ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	
4	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	रजि. दिनांक - 15.10.2015 रजि.क्रमांक-143/उदयपुर/2015-16 रजिस्ट्रार उदयपुर संलग्न किया गया
5.1	संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	
5.2	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. महिलाओं को वाहन चालन प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना</li> <li>2. निर्धन व्यक्तियों को वाहन चालन प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाना</li> <li>3. सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित दिव्यांगजनों की सहायता करना</li> <li>4. सड़क दुर्घटनाओं व इससे होने वाली मृत्यु में कमी लाना</li> <li>5. वाहन चालक प्रशिक्षण</li> <li>6. कुशल वाहन चालक बनाना</li> <li>7. सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं जानरुकता फैलाना</li> <li>8. सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाना</li> <li>9. बच्चों के सुरक्षित परिवहन एवं सुरक्षित स्कूल जॉन विकसित करना</li> </ol>
1	चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	

75-2/11/11

✓

29/3/22

सामान्य

07

29/3/22

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं-


2	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा, सड़क दुर्घटना व मृत्यु में कमी होगी, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता आयेगी
	आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोट्स	संलग्न है
	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिससे द्वारा आवंटन किया गया का नाम आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नाहीं
	संबंधित निकाय द्वारा किरा दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
	आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किरा दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)

सचिव

राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी

	चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
	चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
	चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	नगर निगम सीमा के अन्दर है।
	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटरों/ का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	संलग्न है
1	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	रोड रोफटी एडवोकेरी योजना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
2	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	2019 मे 4.98 लाख रुपये 2021 मे 5.00 लाख रुपये
	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	महिलाओं को वाहन चालन प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना, निर्धन व्यक्तियों को वाहन चालन प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाना, सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित दिव्यांगजनों की सहायता करना, सड़क दुर्घटनाओं व इससे होने वाली मृत्यु में कमी लाना, वाहन चालक प्रशिक्षण, कुशल वाहन चालक बनाना, सड़क सुरक्षा के प्रति शिक्षित एवं जागरूकता फैलाना, सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाना, बच्चों के सुरक्षित परिवहन एवं सुरक्षित स्कूल जाने विकसित करना व सड़क सुरक्षा गतिविधियाँ
	आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	निःशुल्क , 1000 वर्ग मीटर
	यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
	आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
	अन्य विवरण	

  
 (राजेन्द्र सिंह राठौड़)  
 सचिव  
 राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी